<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, बून्दी (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : **दिनेश कुमार गुप्ता, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग में)

सेशन प्रकरण सं0 : 245/2023.

राजस्थान राज्य

<u>विरूद्व</u>

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र जगदीश
   निवासी देवपुरा थाना करवर जिला बून्दी
2. रामसिंह पुत्र श्रीराम
   निवासी नीम का थाना
   हाल कार्यरत् सी.आई.डी. आई.बी, जयपुर
3. प्रहलाद पुत्र सांवत सिंह
   निवासी पीपल्दा थाना इटावा जिला कोटा
4. महावीर प्रसाद पुत्र जगन्नाथ
   निवासी गुमानपुरा थाना तालेड़ा, जिला बून्दी
5. हरेन्द्र सिंह पुत्र दुर्ग सिंह
   निवासी सिनसिनी थाना डीग जिला भरतपुर
   हाल कांस्टेबल थाना हिण्डोली, जिला बून्दी

—अभियुक्तगण

<u>आदेश अन्तर्गत धारा 227/228 दं.प्र.सं.</u>

<u>उपस्थित :—</u>
1. श्री योगेश यादव, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से.
2. श्री नवेद केसर, अभियोगी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता.
3. श्री सुनील शर्मा, अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता.

<u>आ दे श</u> दिनांक : 21 मार्च, 2024.

1. हस्तगत आदेश द्वारा अभियुक्तगण को भा.दं.सं. की धारा 302 एवं 143 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से उन्मोचित (discharge) किये जाने या आरोप विरचित किये जाने के सम्बन्ध में निष्कर्ष अभिलिखित किया जा रहा है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 13.05.2008 को सांयकाल 7.45 पी.एम. पर मृतक शब्बीर मोहम्मद के बड़े भाई अब्दुल हकीम ने पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ पर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की थी कि मृतक शब्बीर मोहम्मद (फरियादी के भाई) को 05 पुलिस वालों—1. गिर्राज,

2. राम सिंह, 3. प्रहलाद, 4. हरेन्द्र एवं 5. कैथूदा वाला बैरवा ने घर से निकाल कर लात–घूसों से पीटा तथा घसीट–घसीट कर मार डाला। उक्त लिखित रिपोर्ट पर 8.00 पी.एम. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 61/2008 अपराध अन्तर्गत धारा 143, 302 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान स्वयं थानाधिकारी, पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ सुरेश चन्द सब इंस्पेक्टर द्वारा अपने जिम्मे किया गया।

3. उक्त लिखित रिपोर्ट पर दिनांक 13.05.2008 को रात्रि 8.00 पी.एम. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व महावीर प्रसाद, ए.एस.आई. के द्वारा 6.15 पी.एम. पर मृतक शब्बीर मोहम्मद को घायल अवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्द्रगढ़ ले जाया गया, जहॉ पर ड्यूटी डॉक्टर हरिप्रसाद लकवाल ने घायल शब्बीर मोहम्मद को मृत घोषित कर दिया।

4. दिनांक 14.05.2008 को सुबह 5.00 ए.एम. पर पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ के थानाधिकारी सुरेश चन्द द्वारा मृतक शब्बीर मोहम्मद की लाश का धारा 174 दं.प्र.सं. के तहत पंचायतनामा तैयार किया गया तथा 5.00 ए.एम. पर ही सामान्य चिकित्सालय, बून्दी से तीन डॉक्टर्स को बुलाकर मृतक की लाश का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के दौरान मृतक की लाश से विसरा एवं खून के नमूनें लिये गये (विसरा के दो भाग (जार–ए) एवं (जार–बी) तथा खून का नमूना (common poison, smake की खोज के लिए) केमिकल एवं पैथोलॉजिकल जॉच हेतु एफ.एस.एल. भिजवाये जाने के लिये, जबकि विसरा का एक भाग (जार–सी) (disease or abnormalities की खोज के लिए) हिस्टोपैथोलॉजी एण्ड माइक्रोबॉयोलोजी जॉच हेतु एम.बी.एस. हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज, कोटा भिजवाने के लिये प्राप्त किये गये।

मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के कारण के बारे में कोई निश्चित राय दिये जाने में असमर्थता व्यक्त की तथा मृत्यु के कारण के बारे में अंतिम राय हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट एवं केमिकल रिपोर्ट के बाद दिया जाना कहा, जिन्हें कालान्तर में पुलिस अधीक्षक, बून्दी द्वारा दिनांक 21.05.2008 को क्रमशः विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा एवं एम.बी.एस. हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज, कोटा को भिजवाया गया।

5. मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉ. मनोज कुमार जैन द्वारा मृतक शब्बीर के कपड़े पेश किए जाने पर दिनांक 14.05.2008 को 07:30 ए.एम. पर फर्द जब्ती तैयार की गई तथा उसी दिन 07:45 ए.एम. पर मृतक शब्बीर की लाश की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करवाई जाकर फर्द तैयार की गई। तदुपरांत दिनांक 14.05.2008 को

मृतक शब्बीर की लाश को अंतिम संस्कार हेतु उसके भाई अब्दुल हकीम (फरियादी) को सुपुर्द कर फर्द सुपुर्दगी लाश तैयार की गई।

6. दिनांक 14.05.2008 को फरियादी अब्दुल हकीम ने थानाधिकारी, थाना इन्द्रगढ़ के समक्ष एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की थी कि कल दिनांक 13.05.2008 को सांय 5.30 बजे के करीब उसका छोटा भाई शब्बीर घर पर बैठा हुआ था कि इन्द्रगढ़ पुलिस थाने के 05 सिपाही व एक अन्य सादा वर्दी में उसके भाई के घर पर आये तथा उसे घर से बुलाकर बाहर निकाला और लात –घूसों से उसकी निर्मम पिटाई करते हुये मारपीट कर उसे पुलिस थाने ले गये, जहॉ पर भी उसकी निर्मम पिटाई की गई, जिससे उसके अन्दरूनी घातक चोटें आने से मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इन्द्रगढ़ पुलिस द्वारा उसके भाई की मृत्यु हो जाने पर एक षड़यन्त्र रचकर फोरी चिकित्सा के नाम पर उसे इन्द्रगढ़ चिकित्सालय ले जाया गया, जहॉ उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी मृत्यु पुलिस थाने में ही हो गई थी, जिसका जिम्मेदार इन्द्रगढ़ का पुलिस थाना स्टाफ एवं उसे घर पर लेने आये सादा वर्दीधारी पुलिसकर्मी प्रहलाद, गिर्राज, हिरेन्द्र, राम सिंह व भैरू लाल तथा एक अन्य व्यक्ति है, जो उस समय उनके साथ था। पुलिस द्वारा उसके भाई को अकारण उठाया जाकर उसके साथ इतनी मारपीट की गई कि उसकी मृत्यु हो गई। अन्त में आरोपी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलम्बित किये जाने एवं उनके विरूद्ध धारा 302 भा.दं.स. के तहत दण्डनीय अपराध का मुकदमा दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ द्वारा दिनांक 14.05.2008 को ही 12.35 पी.एम. पर उक्त लिखित रिपोर्ट को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 61/2008 अपराध अन्तर्गत धारा 143, 302 भा.दं.सं. की पत्रावली में संलग्न किये जाने का अंकन किया गया।

7. अनुसंधान के दौरान वृत्ताधिकारी, लाखेरी द्वारा दिनांक 17.05.2008 को मृतक शब्बीर के भाई अब्दुल हकीम (फरियादी) के बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किये गये तथा दिनांक 21.05.2008 को मृतक शब्बीर के एक अन्य भाई सलीम मोहम्मद के बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किये गये। दिनांक 21.05.2008 को ही वृत्ताधिकारी, लाखेरी द्वारा घटनास्थल का नक्शा–मौका तैयार किया गया।

8. इसी प्रकार दिनांक 16.06.2008 को वृत्ताधिकारी, लाखेरी द्वारा स्वतंत्र गवाहान अशोक नरवान, अशोक सोनी तथा बंशीलाल के बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किये गये तथा दिनांक 30.06.2008 को भी दो स्वतंत्र गवाहान

ओमप्रकाश एवं बाबूलाल के बयान लेखबद्ध किये गये। तदुपरांत दिनांक 14.10.2008 को वृत्ताधिकारी, लाखेरी द्वारा मृतक शब्बीर की मां श्रीमती मैमूना, मृतक शब्बीर के भाई अब्दुल हकीम (फरियादी) की पत्नी श्रीमती जरीना बेगम, मृतक शब्बीर के पड़ौसी मोबिन की पत्नी श्रीमती जमीला, मृतक शब्बीर के ताऊजी के लड़के मोहम्मद हनीफ, मृतक शब्बीर के भाई सलीम मोहम्मद की पत्नी श्रीमती अकबरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्द्रगढ़ के तत्कालीन ड्यूटी डॉक्टर हरिप्रसाद लकवाल के बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किये गये।

9. दिनांक 15.07.2008 को मेडिकल कॉलेज, कोटा से हिस्टॉपैथालॉजी रिपोर्ट एवं दिनांक 13.09.2008 को एफ.एस.एल.,कोटा से एफ.एस.एल. की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

10. दिनांक 20.09.2008 को मेडिकल बोर्ड से मृतक शब्बीर की मृत्यु के कारण के बारे में राय ली गई, तब मेडिकल बोर्ड द्वारा अत्यधिक मात्रा में मॉरफिन का सेवन किये जाने के कारण ''मॉरफिन पॉईजनिंग'' को मृतक की मृत्यु का कारण बताया गया।

11. तदुपरांत वृत्ताधिकारी, लाखेरी द्वारा दिनांक 20.12.2008 को मृतक शब्बीर की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉक्टर ओमप्रकाश वर्मा के बयान लेखबद्ध किये गये।

12. अनुसंधान के उपरान्त् थानाधिकारी, पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ द्वारा मृतक शब्बीर के स्मेक का नशा करने तथा अत्यधिक मात्रा में मॉरफिन ले लेने के कारण मृत्यु हो जाना एवं फरियादी द्वारा सुनी–सुनाई बातों के आधार पर अकाल मौत के मामले में पुलिसकर्मियों पर मारपीट कर हत्या कर देने का झूठा आरोप लगाते हुये प्रकरण दर्ज कराया जाना साबित पाया एवं ''अदम वकू झूठ'' में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ के समक्ष एफ.आर. (closure report) प्रस्तुत की गई।

13. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ द्वारा फरियादी को नोटिस जारी किये जाने पर फरियादी की ओर से एक प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की गई। प्रोटेस्ट पिटीशन के समर्थन में फरियादी अब्दुल हकीम का धारा 200 दं.प्र.सं. के तहत तथा गवाहान् मोहम्मद हनीफ, सलीम, श्रीमती अकबरी, श्रीमती जमीला एवं श्रीमती मैमूना के धारा 202 दं.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध किये गये।

14. तदुपरान्त् विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 06.04.2012 से 05 अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 143 व 302 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिये प्रसंज्ञान लेकर नियमित आपराधिक प्रकरण दर्ज रजिस्टर

करने का आदेश दिया गया। कालान्तर में दिनांक 08.08.2018 को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ द्वारा अभियुक्तगण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस.बी. क्रिमिनल मिस. बेल एप्लीकेशन नम्बर 8890/2018 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 की पालना में जमानत पर रिहा किया गया।

15. तदुपरान्त् मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ द्वारा प्रकरण दिनांक 10.08.2018 को इस न्यायालय को कमिट किया गया।

16. हमने उभयपक्ष को ध्यानपूर्वक एवं विस्तारपूर्वक सुना है।

17. विद्वान लोक अभियोजक ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 143, 302 के तहत दण्डनीय अपराधों के विचारण के लिये प्रथमदृष्टया मामला बनना पाया जाना कहते हुए आरोप विरचित किये जाने का निवेदन किया है।

18. फरियादी के विद्वान अधिवक्ता का बहस के दौरान तर्क रहा है कि तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी का पुलिसकर्मियों को निर्देश था कि छोटे–मोटे अपराधों (minor offences) में अधिक से अधिक मामले दर्ज किये जावें।

19. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार पुलिस द्वारा मृतक शब्बीर के विरूद्ध धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत सट्टे की खाईवाली में लिप्त होने का एक झूठा प्रकरण पूर्व में सन् 2001 में हस्तगत घटना के लगभग सात वर्ष से अधिक समय पूर्व दर्ज किया गया था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार एक बार कोई मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद, उस व्यक्ति को हमेशा संदिग्ध व्यक्ति मानकर परेशान करने एवं झूठे मुकदमों में लिप्त किये जाने की अंग्रेजों के समय से प्रचलित चली आ रही पुलिस की मानसिकता के क्रम में जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी के उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कर शाबासी लिये जाने के उद्देश्य से पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण, मृतक शब्बीर के विरूद्ध फिर से सट्टे की खाईवाली का झूठा प्रकरण दर्ज करने के लिये उसे बलपूर्वक थाने पर लाने के लिये उसके घर गये थे।

20. पॉचों पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी के उक्त निर्देशों की पालना में बिना किसी युक्तियुक्त कारण के मृतक शब्बीर के घर गये थे तथा उस पर सट्टे की खाईवाली करने का झूठा आरोप लगाकर थाने में लाकर उसके विरूद्ध सट्टे का झूठा प्रकरण दर्ज करना चाहते थे। पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण ने मृतक शब्बीर के घर जाकर उसे आवाज लगाई, जिस पर वह घर से बाहर निकल कर आया, तभी पॉचों पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण ने उसके साथ

बेरहमी से लात–घूसों से मारपीट करना शुरू कर दिया। एक पुलिसकर्मी ने उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ घुमाकर पकड़ लिये तथा अन्य पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण बेरहमी से मारपीट करते हुये बलपूर्वक उसे लेकर थाने के लिये रवाना हो गये। थोड़ी दूर चलकर गली के किनारे पर पुलिसकर्मियों ने मृतक शब्बीर के साथ फिर से लात–घूसों से बुरी तरह मारपीट की, जिस पर उसे उल्टियॉ होने लग गई एवं वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। मृतक शब्बीर के परिजनों ने बेरहमी से मारपीट नहीं करने का निवेदन किया तो पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण ने कहा कि इसको थाने पर ले जाकर पट्टे से मारेंगे, तब यह सब स्वीकार कर लेगा। फिर सभी पॉचों पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण मृतक शब्बीर को निर्दयतापूर्वक एवं बलपूर्वक मोटर साईकिल पर बिठाकर थाने पर ले आये। थाने पर लाने के बाद मृतक शब्बीर के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा फिर से बेरहमी से मारपीट की गई। मृतक शब्बीर के परिजनों को थाने के अन्दर नहीं आने दिया गया। बेरहमी से मारपीट किये जाने से मृतक शब्बीर की मृत्यु हो जाने पर दो पुलिसकर्मी उसे थाने की जीप में डालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्द्रगढ़ ले गये, जहॉ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

21. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण ने अपने अपराध को छुपाने के लिये फरियादी की रिपोर्ट पर त्वरित व निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया तथा झूठे एवं बनावटी चश्मदीद गवाह बनाकर फरियादी के मामले को झूठा बताते हुये एफ.आर. (closure report) प्रस्तुत कर दी गई।

22. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार पुलिस द्वारा ग्राम सुमेरगंजमण्डी एवं ग्राम देई करवर के रहने वाले गवाहान् क्रमशः अशोक सोनी एवं बंशी लाल को घटना का झूठा एवं बनावटी चश्मदीद गवाह बनाया गया है, जिनकी घटनास्थल पर उपस्थिति प्रथमदृष्टया ही विश्वसनीय नहीं है।

23. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार फरियादी अब्दुल हकीम को उसके परिजनों ने टेलीफोन पर सूचना दी थी, तब वह तुरन्त ही अपने घर पहुंच गया था, जहॉ पर उसके परिजनों ने उसे घटना के बारे में बताया था, ऐसे में फरियादी अब्दुल हकीम द्वारा थाना इन्द्रगढ़ पर प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट एवं उसकी साक्ष्य को सुनी–सुनाई साक्ष्य मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, बल्कि इस गवाह की साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 06 के तहत res gestae के सिद्धान्त के तहत सुसंगत है तथा साक्ष्य में ग्राह्य है।

24. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार फरियादी एवं उसके परिजन घटना में लिप्त पॉचों पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण के नाम नहीं जानते थे, बल्कि चार

पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण का ही नाम जानते थे। फरियादी ने पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ पर दिनांक 14.05.2008 को प्रस्तुत की गई टंकित रिपोर्ट में लोगों से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर पॉचवे अभियुक्त का नाम भैरू लाल बताया था।

जबकि पुलिस के अनुसंधान में यह स्पष्ट हुआ था कि कांस्टेबल भैरू लाल दिनांक 11.05.2008 से 16.05.2008 तक अवकाश पर था तथा ए.एस.आई. महावीर प्रसाद घटनास्थल पर मौजूद था। इस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिसकर्मी /अभियुक्तगण गिर्राज प्रसाद, राम सिंह, प्रहलाद, महावीर प्रसाद एवं हरेन्द्र सिंह के विरूद्ध एकदम सही प्रकार से प्रसंज्ञान लिया गया है।

25. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण ने मृतक शब्बीर के साथ लात–घूसों से मारपीट की थी तथा निर्दयतापूर्वक उसके दोनों हाथ पीठ की तरफ घुमाकर पकड़े थे एवं मारपीट करते हुये बलपूर्वक उसे थाने लेकर गये थे, ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर जाहिरा चोटें (चोट के निशान) नहीं पाये जाने का इस स्टेज पर अभियुक्तगण को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। विशेषतः जबकि मृतक की लाश की फोटोग्राफी में उसके पूरे शरीर पर, खासतौर से गर्दन वाले हिस्से पर नीलगू के निशान दिखाई दे रहे हैं तथा लाश की वीडियोग्राफी की सी.डी. जानबूझकर पेश नहीं की गई है।

26. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार पत्रावली पर पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण की थाने से रवानगी एवं थाने पर वापसी से सम्बन्धित रोजनामचा रपट की प्रतियॉ भी प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

27. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बून्दी के पत्र के अनुसार पुलिस द्वारा घटनास्थल के भी फोटोग्राफ्स तैयार करवाये गये थे। लेकिन उक्त फोटोग्राफ्स भी एफ.आर. (closure report) के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

28. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार पुलिस द्वारा अपने अपराध को छुपाने के लिये अभियुक्त को झूठे तौर पर ''स्मैकची'' बताया गया, जबकि उसके विरूद्ध कभी भी एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था।

29. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार पुलिसकर्मियों ने सन् 2006 में मौहल्लेवासियों द्वारा मृतक शब्बीर के अफीम के क्रय–विक्रय में शामिल होने का कोई ज्ञापन पेश किया जाना कहा है। लेकिन उस ज्ञापन पर भी मृतक शब्बीर के विरूद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, बल्कि पुलिस के अनुसार धारा 107, 151 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही की गई थी। लेकिन उस कार्यवाही से सम्बन्धित कागजात की कोई प्रमाणित प्रति भी एफ.आर. (closure

report) के साथ पेश नहीं की गई है।

30. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार एफ.एस.एल. रिपोर्ट या हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर ''मृत्यु का कारण'' निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

31. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार इस शुरूआती स्टेज पर केवल एफ.एस.एल. रिपोर्ट या हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट पर ऑख बंद कर विश्वास किया जाना एवं ''मॉरफिन पोईजनिंग'' अर्थात् मॉरफिन का अत्यधिक सेवन किये हुये होने के आधार पर मृतक शब्बीर की मृत्यु होना सही मानकर पुलिसकर्मी/ अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि :–

(I) पत्रावली पर मालखाना रजिस्टर की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है, ऐसे में यह स्पष्ट नहीं होता है कि पोस्टमार्टम किये जाते समय मृतक शब्बीर की लाश से प्राप्त किये गये विसरा एवं रक्त के सेम्पल को सीलबंद अवस्था में उचित अभिरक्षा में मालखाना में रखते हुये एफ.एस.एल./हिस्टोपैथोलॉजिकल जॉच के लिए एफ.एस.एल. कोटा एवं एम.बी.एस. हॉस्पिटल, कोटा भिजवाया गया था।

(II) पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा मृतक शब्बीर के शरीर से विसरा एवं खून का सेम्पल मृतक शब्बीर द्वारा किसी जहरीले पदार्थ (common poison, smake) का सेवन किये जाने या उसके शरीर में कोई बीमारी या असामान्यता (disease or abnormalities) की जाँच के लिये प्राप्त किये गये थे, जबकि जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी के कार्यालय से एफ.एस.एल., कोटा के लिए जारी किये गये अग्रेषण पत्र में मृतक शब्बीर की लाश से प्राप्त किये गये खून के सेम्पल मार्क–डी में स्मैक या अन्य किसी नशीले पदार्थ के अंश मौजूद होने की राय मांगी गई थी, जिसका कोई औचित्य या कारण नहीं था।

एफ.एस.एल. रिपोर्ट में तो जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी द्वारा मांगी गई राय से बढ़कर यह भी अंकित किया गया है कि ना केवल मृतक शब्बीर के खून के नमूने में, बल्कि उसके विसरा में भी मॉरफिन के अंश मौजूद पाये गये थे, जबकि विसरा में स्मैक आदि नशीले पदार्थ के अंश मौजूद होने के सम्बन्ध में तो जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी द्वारा ही कोई राय नहीं चाही गई थी, बल्कि केवल खून के नमूने में ही स्मैक या अन्य किसी नशीले पदार्थ के अंश मौजूद होने के बारे में राय चाही गई थी।

एफ.एस.एल. रिपोर्ट में ओवरराईटिंग कर मृतक के विसरा एवं खून के सेम्पल में मॉरफिन नहीं पाये जाने के तथ्य को काटा गया है, ऐसे में मृतक के विसरा एवं खून के सेम्पल में मॉरफिन पाया जाना अन्यथा भी गम्भीर रूप से संदिग्ध

हो जाता है।

(III) मृतक शब्बीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में उसके शरीर के किसी भी अंग पर मॉरफिन के अत्यधिक सेवन किये जाने से ''मॉरफिन पोईजनिंग'' हो जाने के कोई लक्षण (symptoms) मौजूद नहीं पाये गये हैं।

(IV) एफ.एस.एल. रिपोर्ट डॉक्टर राकेश बाबू गुप्ता, सहायक निदेशक (विष) क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर द्वारा तैयार की गई है, जबकि मृतक शब्बीर के शरीर से प्राप्त किये गये विसरा एवं रक्त के सेम्पल एफ.एस.एल. जॉच के लिये एफ.एस.एल., कोटा भिजवाये गये थे, ना कि एफ.एस.एल. उदयपुर भिजवाये गये थे।

32. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण की यह कहानी इस स्टेज पर विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है कि मृतक शब्बीर पुलिस को देखकर संदिग्ध अवस्था में भागने लगा था तथा घटनास्थल पर गली के घुमाव पर ठोकर खाकर गिर गया था, क्योंकि मृतक के ठोकर खाकर जमीन पर गिरने की स्थिति में उसके पैर के पंजों, घुटनों, हाथ की कोहनियों, पंजों एवं छाती वाले हिस्सों में खरोंचनुमा चोटें कारित होनी चाहिए थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर कोई जाहिरा (दिखाई देने वाली) चोटें मौजूद नहीं पाई गई हैं।

33. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण की यह कहानी अन्यथा भी विश्वसनीय नहीं है कि मृतक शब्बीर पुलिस को देखकर भागने लगा हो तथा भागते हुये ठोकर खाकर गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई हो, क्योंकि एक तो पुलिस को देखकर मृतक शब्बीर के भागने की कोई वजह स्पष्ट नहीं हुई है। दूसरा केवल ठोकर खाकर गिर जाने पर कोई गम्भीर चोट कारित हुये बिना मृत्यु हो जाना गले नहीं उतरता है। तीसरा यदि मृतक शब्बीर भागते समय ठोकर खाकर नीचे गिर जाने से घायल हो गया था तथा पुलिसकर्मी उसे मानवता के नाते ईलाज के लिये अस्पताल ले जा रहे थे, तो मृतक को सीधे प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र, इन्द्रगढ़ ले जाया जाना चाहिए था, ना कि पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ पर।

जबकि स्वीकृत एवं निर्विवाद रूप से मृतक शब्बीर को घटनास्थल से पहले पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ पर ले जाया गया था तथा थाने पर मारपीट करने के बाद उसकी तबियत ज्यादा खराब होने पर उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्द्रगढ़ ले जाया गया था, जो घटनाक्रम, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रथमदृष्टया फरियादी

पक्ष के आरोपों की पुष्टि करता है तथा पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण की बचाव की कहानी को गम्भीर रूप से सन्देह के घेरे में लाता है।

34. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार मृतक शब्बीर के परिजनों के कथनों को हितबद्ध व्यक्तियों की साक्ष्य मानकर कम से कम इस शुरूआती स्टेज पर सिरे से नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि मृतक शब्बीर को उसके घर से बाहर बुलाकर पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है, ऐसे में घर पर परिजनों का ही मौजूद होना तथा गवाही देना नितान्त स्वाभाविक (most natural) परिस्थिति है।

हालांकि पुलिस द्वारा परीक्षित किये गये सभी गवाहान् मृतक शब्बीर के परिजन नहीं हैं, बल्कि एक गवाह श्रीमती जमीला मृतक शब्बीर के परिवार की सदस्य नहीं होकर उसके मकान की पड़ौसी है, जिसने भी पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण द्वारा मृतक शब्बीर के साथ लात–घूसों से मारपीट करना कहा है।

35. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार स्वीकृत एवं निर्विवाद रूप से घटनास्थल पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, ऐसे में अनुसंधान अधिकारी को स्वतंत्र गवाहान् के कथन लेखबद्ध करने चाहिये थे। लेकिन भीड़ में मौजूद किसी भी स्वतंत्र गवाह के कथन लेखबद्ध नहीं किये गये हैं।

बल्कि ऐसे दो गवाहान् अशोक सोनी एवं बंशीलाल के कथन लेखबद्ध किये गये हैं, जो मृतक शब्बीर के पड़ौसी भी नहीं हैं, बल्कि दूसरे गॉव सुमेरगंजमण्डी एवं देई करवर के निवासी हैं, जिनकी घटनास्थल पर उपस्थिति प्रथमदृष्टया ही विश्वसनीय नहीं है।

36. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अनुसंधान अधिकारी द्वारा तीन अन्य गवाहान् ओमप्रकाश, बाबूलाल एवं अशोक नरवान को घटना का चश्मदीद गवाह बताते हुये उनके बयान लेखबद्ध किये गये हैं। लेकिन उक्त तीनों गवाहान् की भी घटनास्थल पर उपस्थिति प्रथमदृष्टया विश्वसनीय नहीं है।

विशेषतः जबकि उक्त पॉचों गवाहान् के घटनास्थल पर उपस्थित होने की पुष्टि अन्य किसी भी गवाह ने नहीं की है तथा यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त गवाहान् के घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित होने की जानकारी अनुसंधान अधिकारी को किस माध्यम से हुई थी।

37. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार मृतक शब्बीर के परिजनों के कथनों के अनुसार पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण द्वारा मृतक के साथ लात–घूसों से बेरहमी से मारपीट की गई थी तथा उसे बलपूर्वक थाने पर लाया गया था, जिसकी पुष्टि

मृतक शब्बीर की लाश के फोटोग्राफ्स में उसके शरीर पर जगह–जगह दिखाई दे रहे नीलगू के निशानों से भी होती है।

38. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार स्वीकृत एवं निर्विवाद रूप से मृतक शब्बीर पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने पर उल्टियॉ करने लग गया था। चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व हिस्टोपैथॉलोजी रिपोर्ट में मृतक शब्बीर द्वारा उल्टी किये जाने की अन्य कोई वजह नहीं बताई गई है, ऐसे में पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण की यह कहानी इस स्टेज पर विश्वास किये जाने योग्य नहीं रह जाती है कि मृतक शब्बीर पुलिस को देखकर भागते समय ठोकर खाकर नीचे गिर जाने से उल्टियां करने लग गया था।

39. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अभिलेख पर प्रथमदृष्टया यह उपधारित करने के पर्याप्त आधार एवं सामग्री उपलब्ध है कि पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण ने 05 से अधिक की संख्या में मृतक शब्बीर के साथ बेरहमी से मारपीट करने एवं उसको बलपूर्वक थाने में लाने के सामान्य उद्देश्य से विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया था तथा विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग करते हुये मृतक शब्बीर के साथ बेरहमी से मारपीट कर बलवा कारित करते हुये मृतक शब्बीर की हत्या कारित की थी, जिसके लिये पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 143, 147 एवं 302 सपठित धारा 149 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिये आरोप विरचित किये जाने के प्रथमदृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

40. विद्वान अधिवक्ता के अनुसार इस स्टेज पर न्यायालय को पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण की ओर से पेश किये गये किसी भी दस्तावेज पर विचार किये जाने की कानूनन अनुमति नहीं है। न्यायालय को इस स्टेज पर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर गुणावगुण पर विचार नहीं करना है, बल्कि प्रथमदृष्टया यह राय कायम करनी है कि पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण द्वारा उक्त अपराध कारित किये जाने की उपधारणा किये जाने के अभिलेख पर पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं या नहीं। 39.

इस स्टेज पर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर इस दृष्टिकोण से विचार नहीं करना है कि क्या पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण की विचारण के उपरांत दोषसिद्धि हो पावेगी या नहीं। इस स्टेज पर केवल ठोस संदेह (strong suspicious) के आधार पर भी आरोप विरचित किये जाने चाहिये। हस्तगत मामले में पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण द्वारा मृतक शब्बीर के साथ परिणामों की कोई फिक्र किये बिना बेरहमी से लात–घूंसों से मारपीट किये जाने एवं उसका गला दबाये जाने का

ठोस संदेह (strong suspicious) पैदा करने वाले पर्याप्त आधार/सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध है एवं तद्नुसार पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण द्वारा भा.दं.सं. की धारा 143, 147 एवं 302 सपठित धारा 149 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किये जाने की उपधारणा किये जाने के प्रथमदृष्टया आधार/सामग्री उपलब्ध है।

41. इसके विपरीत पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये हैंः—

(I) फरियादी अब्दुल हकीम घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, बल्कि ग्राम करवर में अपनी क्लीनिक पर मौजूद था, जहां पर उसे उसके भाई सलीम मौहम्मद द्वारा टेलीफोन पर सूचना दी गई थी, जिस पर वह सीधे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्द्रगढ़ पर पहुंचा था। इस प्रकार फरियादी को घटनाक्रम की प्रत्यक्ष रूप से कोई जानकारी नहीं रही है, बल्कि यह केवल सुनी—सुनाई बात बता रहा है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 06 के तहत सुसंगत नहीं होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

(II) फरियादी अब्दुल हकीम ने दिनांक 13.05.2008 को रात्रि 08:00 पी.एम. पर प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट में केवल 05 पुलिसकर्मियों को आरोपित किया था तथा उसमें भी पांचवे अभियुक्त का नाम अंकित नहीं किया था, बल्कि किसी कैथूदा वाले बैरवा नामक पुलिसकर्मी को मारपीट की घटना में लिप्त बताया था।

फरियादी अब्दुल हकीम द्वारा अगले दिन दिनांक 14.05.2008 को प्रस्तुत की गई टंकित रिपोर्ट में एक पुलिसकर्मी भैरूलाल को भी मारपीट की घटना में लिप्त बताया गया था तथा कुल 06 पुलिसकर्मियों का मारपीट की घटना में लिप्त होना कहा था।

जबकि अनुसंधान से यह स्पष्ट हो गया है कि कांस्टेबल भैरूलाल तो दिनांक 08.05.2008 से ही अवकाश पर चल रहा था तथा केवल दो पुलिसकर्मी महावीर प्रसाद, ए.एस.आई. एवं प्रहलाद कांस्टेबल ही गश्त करते हुये घटनास्थल पर पहुंचे थे।

(III) पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं पंचनामा लाश में मृतक के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं पाई गई है, ऐसे में मृतक शब्बीर के परिजनों के कथनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं पंचनामा लाश से पुष्टि नहीं होती है, ना ही मृतक शब्बीर की लाश के खेंचे गये फोटोग्राफ्स से होती है।

(IV) मृतक शब्बीर के परिजनों के कथनों पर विश्वास कर पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण को हत्या जैसे गंभीर प्रकृति के मामले में लिप्त मानकर आरोप विरचित

किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उपरोक्त सभी गवाहान मृतक शब्बीर के परिजन हैं, जो हितबद्ध गवाहान की श्रेणी में आते हैं।

(V) किसी भी अड़ौसी–पड़ौसी स्वतंत्र गवाह ने मारपीट की घटना की पुष्टि नहीं की है।

बल्कि स्वतंत्र गवाहान अशोक सोनी, बंशीलाल, ओमप्रकाश, बाबूलाल एवं अशोक नरवान के कथनों से यह स्पष्ट है कि मृतक शब्बीर स्मैक का नशा करता था तथा पूर्व में उसके विरुद्ध मौहल्ले वासियों ने स्मैक के अवैध लेन–देन में लिप्त होने की शिकायत की थी। पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण गश्त के दौरान घटना वाले मौहल्ले में पहुंचे थे, जिन्हें देखकर मृतक शब्बीर भागने लगा तथा भागते समय ठोकर खाकर नीचे गिरा एवं उल्टियॉ करने लगा, जिसे पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण मानवता के नाते ईलाज के लिये मोटरसाईकिल पर बिठाकर अस्पताल लेकर गये थे।

(VI) पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल बोर्ड की राय में मृतक शब्बीर की मृत्यु का कारण उसके द्वारा अत्यधिक मात्रा में मॉरफिन का सेवन किये जाने के कारण ''मॉरफिन पोइजनिंग'' होना रहा है।

(VII) मृतक शब्बीर के परिजनों के कथन विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि किसी भी परिजन ने पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण द्वारा मृतक शब्बीर के साथ कथित रूप से मारपीट किये जाते समय बीच–बचाव का कोई प्रयास नहीं किया है, जो सामान्य व्यवहार में नितान्त अस्वाभाविक आचरण है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम सुच्चा सिंह व अन्य, ए आई आर 2003 एससी 1471 में अभिनिर्धारित किया गया है।

(VIII) मृतक शब्बीर के परिजनों द्वारा पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की मांग करते हुये एक दीवानी वाद संख्या 12/2009 दायर किया गया था, जो विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–02, बून्दी द्वारा निर्णय दिनांक 17.09.2019 से खारिज किया जा चुका है। सिविल न्यायालय का निष्कर्ष फौजदारी न्यायालय पर बाध्यकारी होता है। तद्नुसार अब पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण को हस्तगत फौजदारी मामले में मृतक शब्बीर के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कारित करने के आरोप के लिये दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है, ऐसे में आरोप विरचित किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(IX) पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी के निर्देश पर

अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन के क्रम में गश्त करते हुये घटनास्थल वाले मौहल्ले में पहुंचे थे तथा अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे। मृतक शब्बीर उनका टारगेट नहीं था, ना ही वे मृतक शब्बीर को डिटेन कर थाने पर लाने के लिये गये थे। बल्कि मृतक शब्बीर अपनी संदिग्ध एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण पुलिस को देखकर संदिग्ध अवस्था में भागने लगा था तथा भागते हुये ठोकर खाकर नीचे गिर गया था, जिससे उसके उल्टियॉ होने लग गई थी तथा वह बेहोशी की हालत में आ गया था। पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण मानवता के नाते उसे ईलाज के लिये अस्पताल लेकर गये थे।

(X) मृतक शब्बीर के परिजनों ने 300–400 असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ पर पथराव एवं आगजनी की थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुये थे। मृतक शब्बीर के परिजनों एवं अन्य असामाजिक तत्वों के विरुद्ध पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ पर दो प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 62/2008 एवं 63/2008 दायर हुई थी, जिनमें अनुसंधान के उपरान्त् मृतक शब्बीर के परिजनों एवं अन्य असामाजिक तत्वों के लिप्त पाये जाने पर उनके विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 147, 148, 149, 332, 353, 436, 427, 188, 109 तथा पी.डी.पी.पी. एक्ट की धारा 3 व 4 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिये विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ के समक्ष आरोप–पत्र दायर किये गये थे।

(XI) फरियादी पक्ष ने पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण के विरुद्ध पैसे ऐंठने के लिये थाने पर आगजनी एवं पुलिसकर्मियों पर हमले की उपरोक्त घटना को अंजाम देते हुये पुलिस पर दबाव बनाकर झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें वृत्ताधिकारी, लाखेरी, जो राजस्थान पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, द्वारा निष्पक्ष एवं विस्तृत अनुसंधान किया गया था तथा अनुसंधान के उपरांत फरियादी पक्ष के आरोपों की पुष्टि नहीं होने के कारण झूठा मामला दर्ज कराया जाना पाये जाने पर एफ.आर. (closure report) प्रस्तुत की गई थी।

पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 143 व 302 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिये आरोप विरचित किये जाने के प्रथमदृष्टया ना तो पर्याप्त आधार/सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध है, ना ही ठोस संदेह (strong suspicious) पैदा करने वाली कोई परिस्थितियां ही मौजूद हैं। तद्नुसार पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण को भा.दं.सं. की धारा 143 व 302 के तहत दण्डनीय अपराधों के आरोपों से उन्मोचित किया जाना चाहिये।

42. हमने उभयपक्ष के तर्को पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है तथा

अभिलेख का भी सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। हमने पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दीवानी वाद संख्या 12/2009 श्रीमती नसीम बानों वगै0 बनाम गिर्राज वगै0 में विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 02 बून्दी द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 17.02.2019 की प्रमाणित प्रति तथा रोजनामचे, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 62/2008 एवं 63/2008, उक्त दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रस्तुत किये गये आरोप–पत्रों, धारा 174 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज की गई कार्यवाही (मर्ग) की फर्द एवं कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बून्दी द्वारा दिनांक 13.05.2008 को सभी पुलिस थानों पर भेजे गये वायरलेस मैसेज की फोटोप्रतियों का भी सरसरी तौर पर अवलोकन किया है।

43. इस न्यायालय की सुविचारित राय में सर्वप्रथम यहां इस सुस्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि इस स्टेज पर केवल इस प्रयोजन से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया जाना है कि यदि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को सामान्य रूप से सही मानकर विचार में लिया जावे तो क्या अभियुक्तगण आरोपित अपराधों से युक्तियुक्त रूप से जुड़ते (connect) हैं। इस स्टेज पर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की विश्वसनीयता के सम्बन्ध में विस्तृत जांच किये जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही मामले के विभिन्न पहलुओं की गहराई में जाने की आवश्यकता है।

44. यदि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण शुरू किये जाने के लिये पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं पाये जाते हैं तो अभियुक्तगण आरोपित अपराधों से उन्मोचित किये जाने योग्य हो जाते हैं।

45. लेकिन यदि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन से यह राय कायम की जा सकती है कि अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध किये जाने की उपधारणा करने के प्रथमदृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं तो अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित विरचित कर विचारण शुरू किया जाना आवश्यक हो जाता है।

46. इसी क्रम में यह सुस्थापित कानूनी स्थिति भी ध्यान में रखे जाने योग्य है कि इस स्टेज पर मामले में दोषसिद्धि की सम्भावना है या नहीं, इस पहलू पर विचार नहीं किया जाना होता है, बल्कि अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध कारित किये जाने का ठोस सन्देह (strong suspicious) पैदा करने वाली सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध हो तो भी अभियुक्तगण को उन्मोचित (discharge) किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं रह जाता है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित कर मामले का विचारण किया जाना आवश्यक होता है।

47. जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्तों में अभिनिर्धारित किया गया है :–

(a) Stree Atyachar Virodhi Parishad v Dilip Nathumal Chordia (1989) 1 SCC 715

(b) Union of India v Prafulla Kumar Samal (1979) 3 SCC 4

(c) CBI v K. Narayana Rao (2012) 9 SCC 512

(d) L. Krishna Reddy v State (2014) 14 SCC 401

(e) Sajjan Kumar v Central Bureau of Investigation (2010) 9 SCC 368

(f) CBI v Mukesh Pravilchandra Shroff (2009) 16 SCC 429

(g) Chitresh Kumar Chopra v State (NCT of Delhi) (2009) 16 SCC 605

(h) M.E. Shivalinga Murty v CBI (2020) 2 SCC 768

(i) State By the Inspector of Police Etc. v S. Selvi And Anr. (2018) 3 SCC 455

48. उपरोक्त सुस्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुये यदि हस्तगत मामले में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किया जावे तो इस न्यायालय की सुविचारित राय में प्रत्यक्षदर्शी गवाहान् सलीम मौहम्मद (मृतक का भाई), श्रीमती मैमूना (मृतक की मॉ), श्रीमती जरीना बेगम (मृतक की भाभी/फरियादी अब्दुल हकीम की पत्नी), मोहम्मद हनीफ (मृतक शब्बीर के ताऊजी का लड़का), श्रीमती अकबरी (मृतक शब्बीर की भाभी/सलीम मोहम्मद की पत्नी) एवं श्रीमती जमीला (स्वतंत्र एवं पड़ौसी गवाह) के साथ–साथ फरियादी अब्दुल हकीम के अनुसंधान के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत लेखबद्ध किये गये कथनों तथा प्रोटेस्ट पिटीशन के समर्थन में प्रत्यक्षदर्शी गवाहान् मौहम्मद हनीफ, सलीम मौहम्मद, श्रीमती अकबरी, श्रीमती जमीला, श्रीमती मैमूना के साथ–साथ फरियादी अब्दुल हकीम के दं.प्र.सं. की धारा 200 एवं 202 के तहत शपथ पर लेखबद्ध किये गये कथनों, फरियादी द्वारा दिनांक 13.05.2008 एवं 14.05.2008 को दो बार पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ पर प्रस्तुत की गई हस्तलिखित रिपोर्ट/टंकित रिपोर्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्द्रगढ़ पर ड्यूटी पर उपलब्ध डॉक्टर श्री हरिप्रसाद

लकवाल द्वारा उनके समक्ष पुलिसकर्मी/अभियुक्त महावीर प्रसाद, ए.एस.आई. द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर अंकित की गई अपनी राय तथा अनुसंधान के दौरान उनके धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किये गये बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृतक की लाश के फोटोग्राफ्स एवं पुलिस अधीक्षक, बून्दी के कार्यालय से प्राप्त हुये वायरलैस मैसेज की पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत की गई प्रति से प्रथमदृष्टया यह उपधारणा किये जाने के अभिलेख पर पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं कि पुलिस अधीक्षक, बूंदी से दिनांक 13.05.2008 को प्राप्त हुये वायरलेस मैसेज में माइनर एक्ट के तहत वर्ष 2007 के मई माह में दर्ज किये गये प्रकरणों से 20 प्रतिशत अधिक प्रकरण दर्ज किये जाने के प्राप्त हुये निर्देशों के क्रम में पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण मृतक शब्बीर की पुरानी आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये, उस पर सट्टे की अवैध गतिविधि में लिप्त होने का संदेह करते हुये उसी दिन सायं करीब 4–5 बजे उसके घर पर गये थे तथा उसे आवाज देकर घर के बाहर बुलाया था। मृतक शब्बीर के घर के बाहर आने पर पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण में से पुलिसकर्मी/अभियुक्त रामसिंह ने मृतक शब्बीर के दोनों हाथ पकड़ लिये थे, जबकि पुलिसकर्मी/अभियुक्त प्रहलाद एवं अन्य पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण ने उसके साथ लात–घूंसों, थप्पड़ों से बेरहमी से मारपीट करते हुये उसे बलपूर्वक अपने साथ थाने पर ले जाने की कोशिश की थी, जिसका मृतक शब्बीर एवं उसके परिजनों द्वारा विरोध किये जाने पर पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण ने गली के घुमाव पर पहुंचकर मृतक शब्बीर के साथ फिर से लात–घूंसों से मारपीट की थी, जिससे अन्दरूनी चोटें कारित होने के कारण वह उल्टियां करने लग गया था तथा बेहोश होकर नीचे गिर गया था, जिसे उठाकर फिर से बलपूर्वक काबू में करते हुये पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण द्वारा उसे मोटरसाईकिल पर बिठाकर पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ पर लाया गया था तथा कुछ देर बाद वहां से उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्द्रगढ़ ले जाया गया था, जहां पर सायं 06:15 पी.एम. पर ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर हरिप्रसाद लकवाल द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया था।

49. चूंकि पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण पॉच की संख्या में घटनास्थल पर इकट्ठे हुये थे तथा प्रथमदृष्टया उनके वहॉ इकट्ठा होने का सामान्य उद्देश्य मृतक शब्बीर की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये उस पर सट्टे की अवैध गतिविधि में लिप्त होने का संदेह होने के कारण उसे बलपूर्वक थाने पर लाने का रहा था, जिसके अग्रसरण में मृतक शब्बीर को बलपूर्वक काबू में लेकर थाने में

लाने के लिये पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ बेरहमी से लात–घूसों से मारपीट कर बलवा का अपराध कारित किया गया तथा पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण द्वारा, अपने कृत्यों के परिणाम की कोई परवाह किये बिना, मृतक शब्बीर के साथ, बेरहमी से मारपीट किये जाने एवं बलपूर्वक उसे काबू में किये जाने पर वह उल्टियॉ करने लगा था एवं बेहोश होकर नीचे गिर गया था, जिसे उसी अवस्था में बलपूर्वक मोटर साईकिल पर बिठाकर थाने में लाया गया था, जिसके चलते मृतक शब्बीर की मृत्यु कारित हुई थी, ऐसे में पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण का उपरोक्त कृत्य प्रथमदृष्टया भा.दं.सं. की धारा 300 के दूसरे खण्ड के तहत हत्या की कोटि में आने वाले सदोष मानव वध की श्रेणी में आता है तथा प्रथमदृष्टया भा.दं.सं. की धारा 143, 147 एवं 302 सपठित धारा 149 के तहत दण्डनीय अपराधों का गठन करता है, जिसके लिये आरोप विरचित किये जाने एवं विचारण शुरू किये जाने के प्रथमदृष्टया पर्याप्त आधार अभिलेख पर उपलब्ध हैं।

विशेषतः जबकि पुलिस द्वारा एफ.आर. (closure report) पेश किये जाते समय पुलिस अधीक्षक, बून्दी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद फरियादी के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 182/211 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिये परिवाद भी दायर नहीं किया गया है। बल्कि बिना परिवाद दायर किये केवल उक्त अपराधों के लिये कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया है, जिसका कानूनन कोई औचित्य एवं प्रभाव नहीं है।

50. अब पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण की ओर से उठाये गये पहलुओं पर सरसरी तौर पर विचार किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है, जिन पर इस न्यायालय की प्रथमदृष्टया राय निम्न प्रकार है :–

<u>पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति के बारे में सन्देह</u>

51. इस सम्बन्ध में इतना ही लिखना पर्याप्त है कि पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण गिर्राज प्रसाद, रामसिंह, प्रहलाद एवं हरेन्द्र सिंह को फरियादी अब्दुल हकीम द्वारा ना केवल दोनों लिखित/टंकित रिपोर्ट्स में नामजद किया गया है, बल्कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह मृतक शब्बीर के भाई सलीम मौहम्मद ने धारा 161 व 164 दं.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किये गये अपने कथनों में भी उक्त चारों पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण को मारपीट की घटना में लिप्त बताया है तथा पुलिसकर्मी/अभियुक्त महावीर प्रसाद, ए.एस.आई. एवं पुलिसकर्मी/अभियुक्त प्रहलाद सिंह, कांस्टेबल का घटनास्थल पर मौजूद होना अन्यथा भी एक स्वीकृत एवं निर्विवाद तथ्य है, ऐसे में पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण की घटनास्थल पर उपस्थिति के तथ्य पर इस स्टेज

पर सन्देह किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण उपलब्ध नहीं है।

विशेषतः जबकि पुलिसकर्मियों की थाने से घटनास्थल पर रवानगी की रोजनामचा रपट संख्या 467 एवं वापसी की रोजनामचा रपट को पत्रावली पर पेश भी नहीं किया गया है।

हालांकि पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण की ओर से बहस चार्ज सुने जाने के दौरान रोजनामचे की कुछ प्रविष्टियों की प्रतियॉ अवश्य पेश की गई हैं, जिनके अनुसार पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण महावीर प्रसाद, ए.एस.आई. एवं प्रहलाद सिंह, कांस्टेबल रोजनामचे में प्रविष्टि संख्या–470 अंकित कर दिनांक 13.05.2008 को सांय 5.30 बजे कस्बा इन्द्रगढ़ में गश्त के लिये रवाना हुये थे।

जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दं.प्र.सं. की धारा 174 के तहत कार्यवाही किये जाते समय तैयार की गई फर्द के अनुसार पुलिसकर्मी/अभियुक्त ए.एस.आई. महावीर प्रसाद रोजनामचा रपट संख्या 467 के जरिये थाने से रवाना हुआ था तथा वापस पहुंच कर उसने धारा 174 दं.प्र.सं. की कार्यवाही दर्ज की थी।

लेकिन उल्लेखनीय रूप से उक्त रवानगी की रोजनामचा रपट संख्या 467 एवं वापसी पर दर्ज की गई रोजनामचा रपट को एफ.आर. (clouser report) के साथ न्यायालय में पेश नहीं किया गया है।

इस प्रकार इस स्टेज पर सभी 05 पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण की घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थिति पर सन्देह किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण मौजूद नहीं है।

<u>पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक शब्बीर के शरीर पर कोई जाहिरा चोट कारित नहीं पाये जाने का प्रभाव</u>

52. ऐसा नहीं है कि मृतक शब्बीर के शरीर पर पोस्टमार्टम किये जाते समय कोई जाहिरा चोट कारित नहीं पाई गई हो।

बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के प्रथम पृष्ठ के निचले भाग में **External Appearance** वाले शीर्षक के अन्तर्गत अंकित इबारत में यह भी अंकित किया गया है कि ''.....face and neck blackish.....no any injury visible all over body. Haematoma present at frontoparietal region right side and near mid line of right side under the skin on cut section....."

53. इस प्रकार इस स्टेज पर यह राय कायम किया जाना सही नहीं होगा कि पोस्टमार्टम किये जाते समय मृतक शब्बीर के शरीर पर कोई जाहिरा चोट कारित नहीं पाई गई थी। बल्कि अभियोजन मामले के अनुसार पुलिसकर्मी/

अभियुक्तगण द्वारा मृतक शब्बीर को बलपूर्वक काबू में किया गया था तथा सम्भवतः इस प्रकार बलप्रयोग कर गले एवं मुंह वाले हिस्से को दबाये जाने के कारण ही उसका चेहरा व गर्दन काला रंग लिये हुये (blackish) पाये गये हैं तथा घूसें, आदि से कोई अन्दरूनी चोट कारित होने के कारण मृतक शब्बीर के frontoparietal region पर Haematoma (जमे हुये खून से पैदा होने वाली सूजननुमा गॉठ) कारित पाया गया है।

विशेषतः जबकि घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाहान् के धारा 161 एवं 164 दं.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किये गये कथनों में भी यह आया है कि पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट किये जाने के कारण मृतक शब्बीर की गर्दन लटक गई थी।

54. साथ ही मृतक की लाश के फोटोग्राफ्स में भी उसके चेहरे एवं गर्दन वाला हिस्सा काला रंग लिये हुये एकदम blackish दिखाई पड़ रहा है, जिससे भी मृतक शब्बीर के चेहरे एवं गले वाले नाजुक अंगों पर अत्यधिक दबाव डाले जाने की पुष्टि होती है। विशेषतः जबकि मृतक शब्बीर के चेहरे एवं गर्दन वाले हिस्से के काला रंग लिये हुये (blackish) पाये जाने की अन्य कोई विश्वसनीय वजह भी इस स्टेज पर प्रकट नहीं हो रही है तथा स्वीकृत रूप से लाश की वीडियोग्राफी किये जाने के बावजूद वीडियोग्राफी की सी.डी. पत्रावली पर पेश नहीं की गई है।

<u>मृतक शब्बीर के पुलिस को देखकर भागने पर ठोकर खाकर गिर जाने से उसकी मृत्यु होने की अभियुक्तगण की प्रतिरक्षा का प्रभाव</u>

55. इस स्टेज पर सर्वप्रथम तो यह उल्लेखनीय है कि मृतक शब्बीर के पुलिस को देखकर भागने की कोई युक्तिसंगत वजह अभिलेख पर नहीं आई है।

साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं पंचायतनामा के अनुसार मृतक शब्बीर के शरीर पर कोइ जाहिरा (दिखाई देने वाली) चोट मौजूद नहीं पाई गई है।

जबकि भागते समय गली के घुमाव पर ठोकर खाकर नीचे गिरने की स्थिति में मृतक शब्बीर के शरीर के सामने वाले हिस्से में अर्थात् हाथ, पैर, पंजों एवं छाती वाले हिस्से में कम से कम खरोंचनुमा चोटें अवश्य ही कारित होनी चाहिये थी।

56. चूंकि मृतक शब्बीर के शरीर पर कोई जाहिरा चोट कारित नहीं पाई गई है, ऐसे में किसी प्राणघातक या गम्भीर चोट कारित हुये बिना केवल ठोकर खाकर नीचे गिर जाने से उसकी मृत्यु कारित होना, इस स्टेज पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

57. इसी क्रम में इस स्टेज पर यह भी उल्लेखनीय है कि यदि मृतक शब्बीर पुलिस को देखकर भागते समय ठोकर खाकर नीचे गिर गया था तथा पुलिसकर्मी उसे मानवता के नाते ईलाज के लिये अस्पताल ले जा रहे थे तो मृतक को सीधे ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्द्रगढ़ ले जाया जाना चाहिये था।

जबकि स्वीकृत एवं निर्विवाद रूप से मृतक शब्बीर को घायल अवस्था में पहले पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ पर ले जाया गया था तथा कुछ समय बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्द्रगढ़ ले जाया गया था।

हालांकि उपरोक्त सभी पहलुओं पर विचारण के दौरान उभयपक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध होने के उपरान्त ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो पावेगी।

विशेषतः जबकि पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान घटनास्थल के तैयार किये गये फोटोग्राफ्स को भी एफ.आर. की पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया है, जबकि घटनास्थल के भी फोटोग्राफ्स तैयार करवाया जाना तथा पूर्व में पत्र क्रमांक 1357 दिनांक 24.06.2008 द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ को भिजवाया जाना, पुलिस अधीक्षक, बून्दी द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना इन्द्रगढ़ को भिजवाये गये पत्र क्रमांक 1778 दिनांक 16.07.2008 में अंकित भी किया गया है।

<u>मृतक शब्बीर के मॉरफिन का अत्यधिक सेवन किये होने के कारण 'मॉरफिन पोईजनिंग' से उसकी मृत्यु होने के अनुसंधान अधिकारी के निष्कर्ष का प्रभाव</u>

58. इस सम्बन्ध में अभियुक्तगण ने एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के तीनों डॉक्टर्स द्वारा व्यक्त की गई इस राय पर बहुत अधिक भरोसा किया है कि पोस्टमार्टम किये जाते समय मृतक शब्बीर की लाश से प्राप्त किये गये विसरा एवं खून के नमूने की एफ.एस.एल. जांच किये जाने पर विसरा एवं खून के नमूने में मॉरफिन के अंश मौजूद पाये गये हैं।

59. लेकिन यहां यह विचारणीय है कि निम्नलिखित एक से अधिक कारणों के चलते केवल एफ.एस.एल. जांच में मृतक शब्बीर की लाश से प्राप्त किये गये विसरा एवं खून के नमूने में मॉरफिन के अंश मौजूद पाये जाने मात्र के आधार पर मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर्स द्वारा ''मॉरफिन पोईजनिंग'' के कारण मृतक शब्बीर की मृत्यु होने की व्यक्त की गई राय को इस स्टेज पर आधार बनाकर पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण को उन्मोचित (discharge) किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं है, क्योंकि :–

(I) पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई एफ.आर. की पत्रावली में मालखाना रजिस्टर की कोई प्रति उपलब्ध नहीं है, ऐसे में यह स्पष्ट नहीं होता है कि पोस्टमार्टम किये जाते समय मृतक शब्बीर की लाश से प्राप्त किये गये विसरा एवं

खून के सेम्पल को सीलबन्द अवस्था में पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ के मालखाना में जमा कराया गया था तथा उचित अभिरक्षा में रखते हुये एफ.एस.एल. एवं हिस्टोपैथोलोजी जांच के लिए एफ.एस.एल. कोटा एवं एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा में भिजवाया गया था।

(II) मृतक शब्बीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं हिस्टोपैथोलोजी रिपोर्ट में उसके शरीर के किसी भी अंग पर अत्यधिक मात्रा में मॉरफिन का सेवन किये जाने के कारण ''मॉरफिन पोईजनिंग'' हो जाने के कोई लक्षण (symptoms) मौजूद नहीं पाये गये हैं।

(III) एफ.एस.एल. रिपोर्ट पर हस्ताक्षरकर्ता डॉ. राकेश बाबू गुप्ता, सहायक निदेशक (विष) क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर की सील अंकित है, जबकि यह जांच एफ.एस.एल. कोटा में की जानी चाहिये थी, जहां पर मृतक शब्बीर के शरीर से पोस्टमार्टम किये जाते समय प्राप्त किये गये विसरा एवं रक्त के नमूने जांच के लिये भिजवाये गये थे।

(IV) एफ.एस.एल. रिपोर्ट में निष्कर्ष अंकित किये जाते समय शुरूआत में विसरा के दो सेम्पल एवं रक्त के एक सेम्पल में मॉरफिन के अंश मौजूद पाया जाना लिखा गया है। लेकिन इसके तुरन्त बाद मॉरफिन के अंश मौजूद नहीं पाये जाने का निष्कर्ष अंकित करने के बाद, उसे ओवरराईटिंग करते हुये काट दिया गया है।

(V) पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किये जाते समय मृतक शब्बीर द्वारा किसी जहरीले पदार्थ (common poison, smake) का सेवन किये जाने या उसके शरीर में कोई बीमारी या असामान्यता (disease or abnormalities) की सम्भावना को दूर करने के लिए जांच कराने हेतु विसरा एवं खून के सेम्पल प्राप्त किये गये थे।

लेकिन पुलिस अधीक्षक, बून्दी द्वारा एफ.एस.एल. कोटा को जारी किये गये अग्रेषण पत्र में पोस्टमार्टम किये जाते समय मृतक शब्बीर की लाश से प्राप्त किये गये रक्त के सेम्पल मार्क–डी में स्मैक या अन्य किसी नशीले पदार्थ के अंश मौजूद होने की भी राय चाही गई है, जिसका पहली नजर में कोई औचित्य या कारण समझ में नहीं आता है।

(VI) पुलिस अधीक्षक, बून्दी द्वारा कोई राय नहीं चाही जाने के बावजूद एफ.एस.एल. रिपोर्ट में मृतक शब्बीर की लाश से प्राप्त किये गये विसरा के सेम्पल में भी मॉरफिन के अंश मौजूद पाये जाने की राय दी गई है, जो भी इस स्टेज पर प्रथमदृष्टया समझ से परे है।

(VII) पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं हिस्टोपैथोलोजी रिपोर्ट में मृतक शब्बीर द्वारा उल्टी (vomiting) किये जाने की कोई वजह भी अंकित नहीं की गई है तथा मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर्स द्वारा ''मॉरफिन पोईजनिंग'' के कारण मृतक शब्बीर की मृत्यु होने की राय व्यक्त किये जाते समय भी मृतक शब्बीर द्वारा उल्टियां करने की कोई वजह अंकित नहीं की गई है।

(VIII) अनुसंधान अधिकारी ने मृतक शब्बीर को स्मैक का आदी (addict) बताने का प्रयास किया है। लेकिन एफ.आर. की पत्रावली के साथ संलग्न आपराधिक मुकदमों की डिटेल के अनुसार मृतक शब्बीर के विरूद्ध कभी भी एन.डी. पी.एस. एक्ट के तहत कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

आपराधिक मुकदमों की डिटेल की फर्द में मृतक शब्बीर के विरूद्ध पुलिस द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 107, 151 के तहत कार्यवाही अमल में लाये जाने का अवश्य उल्लेख किया गया है। लेकिन मौहल्लेवासियों द्वारा मृतक शब्बीर के स्मैक, आदि किसी मादक पदार्थ के क्रय–विक्रय की अवैध गतिविधि में शामिल होने से सम्बन्धित पुलिस में प्रस्तुत की गई किसी शिकायत के आधार पर उक्त कार्यवाही अमल में लाये जाने का उक्त मुकदमों की डिटेल की फर्द में कोई उल्लेख नहीं है, ना ही ऐसी किसी शिकायत की कोई प्रति पत्रावली में संलग्न की गई है। यहां तक कि दं.प्र.सं. की धारा 107, 151 के तहत अमल में लाई गई कार्यवाही से सम्बन्धित किसी कागजात की कोई प्रति भी पत्रावली में संलग्न नहीं की गई है।

(IX) पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के सदस्यों द्वारा केवल एफ.एस.एल. जांच में मृतक शब्बीर की लाश से प्राप्त किये गये विसरा एवं रक्त के नमूने में मॉरफिन के अंश मौजूद पाये जाने मात्र के आधार पर मृतक शब्बीर की मृत्यु का कारण ''मॉरफिन पोईजनिंग'' अंकित किया गया है।

लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक शब्बीर के शरीर के अंगों की दर्शाई गई स्थिति के आधार पर ''मॉरफिन पोईजनिंग'' के कारण मृत्यु होने की पुष्टि होने की राय नहीं दी गई है, ना ही ''मॉरफिन पोईजनिंग'' के कारण मृत्यु होने की राय व्यक्त करने के लिए मृतक शब्बीर के शरीर से पोस्टमार्टम किये जाते समय प्राप्त किये गये विसरा के सेम्पल की एम.बी.एस. कॉलेज एवं अस्पताल, कोटा में जांच करते हुये तैयार की गई हिस्टोपैथोलोजी रिपोर्ट को ही आधार बनाया गया है, ना ही अपनी राय में यह अंकित किया गया है कि हिस्टोपैथोलोजी रिपोर्ट में मृतक शब्बीर के शरीर के किसी अंग में ''मॉरफिन पोईजनिंग'' के कोई लक्षण (symptoms) मौजूद पाये गये थे।

60. इस प्रकार इस स्टेज पर प्रथमदृष्टया यह राय कायम किया जाना उचित एवं सुरक्षित नहीं है कि मृतक शब्बीर की मृत्यु मॉरफिन का अत्यधिक सेवन किये जाने से ''मॉरफिन पोईजनिंग'' हो जाने के कारण हुई थी।

बल्कि मृतक शब्बीर की मृत्यु के सही एवं वास्तविक कारण के बारे में कोई ठोस निष्कर्ष विचारण के दौरान उभयपक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध हो जाने के पश्चात् ही कायम किया जा सकेगा।

<u>फरियादी अब्दुल हकीम द्वारा पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ पर दो बार प्रस्तुत की गई लिखित/टंकित रिपोर्ट तथा अपने धारा 161 एवं 200 दं.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किये गये कथनों में बताये गये घटनाक्रम की विश्वसनीयता</u>

61. इस स्टेज पर इतना ही लिखना पर्याप्त है कि फरियादी अब्दुल हकीम मृतक शब्बीर का बड़ा भाई है, जिसे दूसरे भाई सलीम मोहम्मद ने टेलीफोन पर घटनाक्रम की सूचना दी थी, जिस पर वह तुरन्त ही ग्राम करवर स्थित अपनी क्लीनिक से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्द्रगढ़ पहुंचा था तथा घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह उसके भाई सलीम मौहम्मद ने उसे घटनाक्रम की जानकारी दी थी।

इस प्रकार इस गवाह के द्वारा पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ पर प्रस्तुत की गई लिखित/टंकित रिपोर्ट तथा धारा 161 व 164 दं.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किये गये कथनों में बताये गये घटनाक्रम को इस स्टेज पर केवल सुनी–सुनाई बातों पर आधारित मानकर सिरे से नहीं नकारा जा सकता है। बल्कि प्रथमदृष्टया इस गवाह की साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 06 के तहत res gestae के सिद्धान्त के तहत सुसंगत है तथा साक्ष्य में ग्राह्य है। अन्तिम निष्कर्ष विचारण के दौरान उभयपक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के उपरांत ही निकाला जा सकेगा।

<u>मृतक शब्बीर के परिजनों के हितबद्ध गवाहान होने तथा स्वतन्त्र गवाहान द्वारा मारपीट की घटना की पुष्टि नहीं किये जाने का प्रभाव</u>

62. इस स्टेज पर सर्वप्रथम तो यह विचारणीय है कि कथित रूप से मृतक शब्बीर के साथ मारपीट की घटना उसके घर के बाहर हुई थी, ऐसे में घटना के समय घर पर मौजूद परिजनों द्वारा ही घटना के बारे में बताया जाना नितान्त स्वाभाविक (most natural) परिस्थिति है, ऐसे में केवल मृतक शब्बीर के परिजन होने के कारण उनके कथनों को इस स्टेज पर हितबद्ध गवाहान की साक्ष्य मानकर सिरे से नहीं नकारा जा सकता है।

बल्कि उक्त गवाहान की विश्वसनीयता के सम्बन्ध में सही निष्कर्ष विचारण के दौरान उक्त गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने तथा अभियुक्तगण को इनसे जिरह किये जाने का अवसर प्राप्त होने के बाद ही निकाला जा सकेगा।

63. जहां तक स्वतन्त्र गवाहान द्वारा फरियादी पक्ष के मामले की पुष्टि

नहीं किये जाने का प्रश्न है तो ऐसा नहीं है कि फरियादी पक्ष की ओर से कोई भी स्वतन्त्र गवाह मारपीट की घटना की पुष्टि नहीं कर रहा हो, बल्कि श्रीमती जमीला पत्नी मोबिन मृतक शब्बीर के परिवार की सदस्या नहीं है, बल्कि पड़ौसी है तथा इसने अपने धारा 161 दं.प्र.सं. एवं 202 दं.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध कथनों में मारपीट की घटना की पुष्टि की है।

64. पुलिस द्वारा स्वतन्त्र एवं चश्मदीद गवाहान के रूप में अशोक सोनी, बंशीलाल, ओम प्रकाश, बाबूलाल एवं अशोक नरवान के कथन लेखबद्ध किये गये हैं, जिन्होंने मृतक शब्बीर को सब्जी मण्डी की तरफ से भागकर आते हुये गली के घुमाव पर ठोकर खाकर नीचे गिरकर बेहोश हो जाना कहा है।

65. लेकिन यहां यह विचारणीय है कि इस स्टेज पर प्रथमदृष्टया उपरोक्त पांचों गवाहान में से किसी भी गवाह की घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थिति विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि इनमें से गवाह अशोक सोनी एवं बंशीलाल तो दूसरे गांव क्रमशः सुमेरगंजमण्डी एवं देई करवर के निवासी हैं तथा शेष तीनों गवाहान ओम प्रकाश, बाबूलाल एवं अशोक नरवान की घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थिति की पुष्टि अन्य किसी भी गवाह ने नहीं की है। तद्नुसार इस स्टेज पर यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि अनुसंधान अधिकारी को उक्त पांचों गवाहान की घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित होने की जानकारी किस माध्यम से हुई थी।

बल्कि उक्त स्वतन्त्र गवाहान की घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थिति एवं उनकी साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में सही निष्कर्ष, विचारण के दौरान उभयपक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के बाद ही अभिलिखित किया जा सकेगा।

66. पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण द्वारा मृतक के साथ मारपीट किये जाते समय मृतक शब्बीर के परिजनों के बीच–बचाव करने के दौरान चोटग्रस्त नहीं होने मात्र के आधार पर उनकी घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थिति को कम से कम इस शुरूआती स्टेज पर तो सन्देह की नजर से नहीं देखा जा सकता है।

67. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किये गये ''सुच्चा सिंह'' (उपरोक्त) न्यायिक दृष्टांत वाला मामला, अभियुक्तगण को हत्या के आरोप के लिये दोषसिद्ध किये जाने के निर्णय के विरूद्ध दायर की गई फौजदारी अपील से सम्बन्धित है, जिसमें अभिनिर्धारित की गई विधिक स्थिति को हस्तगत मामले पर, इस शुरूआती स्टेज पर, लागू नहीं किया जा सकता है।

फरियादी पक्ष द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दायर किये गये दीवानी वाद संख्या 12/2009 को विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 02, बून्दी द्वारा निर्णय दिनांक 17.09.2019 से खारिज कर दिये जाने का प्रभाव

68. इस स्टेज पर इतना ही लिखना पर्याप्त है कि सुस्थापित कानूनी स्थिति के अनुसार दीवानी न्यायालय द्वारा दीवानी मामले में अभिलिखित किया गया निष्कर्ष, फौजदारी मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध लम्बित विचारण पर कोई प्रभाव नहीं रखता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ''किशन सिंह (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम गुरूपाल सिंह व अन्य'' (2010) 8 एस.सी. सी. 775 में अभिनिर्धारित किया गया है।

69. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार इस स्टेज पर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 143, 147 एवं 302 सपठित धारा 149 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिये विचारण किये जाने योग्य पर्याप्त सामग्री/आधार अभिलेख पर उपलब्ध हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराधों के लिये आरोप विरचित कर विचारण शुरू किया जाना विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाया जाता है।

70. बहस आरोप सुने जाते समय यह सामने आया है कि पुलिसकर्मी/अभियुक्त प्रहलाद सिंह कांस्टेबल के पद पर तैनात रहते हुये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुका है।

जबकि पुलिसकर्मी/अभियुक्त गिर्राज प्रसाद पुलिस थाना, लाखेरी में हैड कांस्टेबल के पद पर, महावीर प्रसाद, ए.एस.आई. पुलिस लाईन, बून्दी में, हरेन्द्र सिंह कांस्टेबल पुलिस थाना सदर, बून्दी में एवं रामसिंह कांस्टेबल सी.आई.डी. /आई.बी. जयपुर में पदस्थापित हैं।

71. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ''निरंजन सिंह व अन्य बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे व अन्य'' (1980) 2 एस.सी.सी. 559 में निम्न अभिमत व्यक्त किया गया है:–

".....We hasten to make it clear that these are one-sided allegations and the accused have a counter-version of their own and we do not wish to make any implications for or against either version. The accused policemen are entitled to an unprejudiced trial without any bias against the 'uniformed' force which has difficult tasks to perform.

We conclude this order on a note of anguish. The complainant has been protesting against the State's bias and police threats.

We must remember that a democratic state is the custodian of people's interests and not only police interests. Then how come this that the team of ten policemen against whom a magistrate after due enquiry found a case to be proceeded with and grave charges including for murder were framed continue on duty without so much as being suspended from service until disposal of the pending sessions trial? On whose side is the State? The rule of law is not a one-way traffic and the authority of the State is not for the police and against the people. A responsible Government responsive to appearances of justice, would have placed police officers against whom serious charges had been framed by a criminal court under suspension unless exceptional circumstances suggesting a contrary course exist. After all a gesture of justice to courts of justice is the least that a government owes to the governed. We are confident that this inadvertence will be made good and the State of Maharashtra will disprove by deeds Henry Clay's famous censure :

> "The arts of power and its minions are the same in all countries and in all ages. It marks its victim denounces it; and excites the public odium and the public hatred to conceal its own abuses and encroachments."

The observations that we have made in the concluding portion of the order are of such moment, not merely to the State of Maharashtra but also to the other States in the country and to the Union of India, that we deem it necessary to direct that a copy of this judgment be sent to the Home Ministry in the Government of India for suitable sensitized measures to pre-empt recurrence of the error we have highlighted."

72. भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 144** के अनुसार प्रत्येक सिविल एवं न्यायिक प्राधिकारी का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह माननीय उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करे। (All authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court).

73. साथ ही सुस्थापित कानूनी स्थिति के अनुसार भी स्वतन्त्र, स्वच्छ एवं त्वरित विचारण (free, fair & speedy trial) फरियादी पक्ष एवं अभियुक्तगण दोनों का ही मूलभूत संवैधानिक अधिकार है।

74. तद्नुसार हस्तगत मामले में स्वतन्त्र, स्वच्छ एवं त्वरित विचारण (free, fair & speedy trial) सुनिश्चित किये जाने तथा पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण पर विचारण को प्रभावित करने के आरोप लगाये जाने की सम्भावना को दूर करने के लिए, वर्तमान में सेवारत् पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण को, तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाना या विचारण के दौरान उनको पुलिस रेन्ज कोटा से नहीं तो, कम से कम बून्दी जिले से बाहर पदस्थापित रखा जाना भी आवश्यक है, जो स्वयं पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण के भी हित में होगा।

75. साथ ही मृतक शब्बीर के परिजनों के पुनर्वास के लिये उन्हें राजस्थान सरकार की ''पीड़ित प्रतिकर स्कीम'' के तहत समुचित अन्तरिम क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की अनुशंषा किया जाना भी विधिसम्मत् एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

76. बार–बार तलब किये जाने के बावजूद थानाधिकारी पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक, बून्दी द्वारा हस्तगत मामले की मूल केस डायरी न्यायालय में पेश नहीं की जा सकी है, जिसकी वजह मूल केस डायरी का विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ के न्यायालय में पदस्थापित तत्कालीन सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जाने के बाद से उपलब्ध नहीं हो पाना रहा है।

77. हस्तगत मामले के निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित किये जाने एवं सही निर्णय पर पहुंचने के लिये मूल केस डायरी का उपलब्ध होना अपरिहार्य (inevitable) है।

विशेषतः जबकि हस्तगत मामले में पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण की घटना वाले दिन पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ से रवानगी की रोजनामचा रपट संख्या 467 एवं थाने पर वापसी की रोजनामचा रपट की प्रतियां, मालखाना रजिस्टर की प्रतियां, मृतक शब्बीर की लाश की वीडियोग्राफी तैयार करने के लिये उपयोग में लिये गये उपकरण या वीडियो सी.डी., आदि एवं घटनास्थल के फोटोग्राफ्स भी एफ.आर. की पत्रावली में संलग्न नहीं हैं, जिनके उक्त मूल केस डायरी में संलग्न पाये जाने की प्रबल सम्भावना है।

उपरोक्त परिदृश्य के मद्देनजर मूल केस डायरी को जान–बूझकर नष्ट/गायब कर दिये जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

तद्नुसार मूल केस डायरी को नष्ट/गायब कर दिये जाने के सम्बन्ध में थानाधिकारी, पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ को तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर

त्वरित अनुसंधान किये जाने एवं मूल केस डायरी को यथाशीघ्र बरामद कर इस न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने का निर्देश दिया जाना भी आवश्यक हो जाता है।

78. इसी क्रम में थानाधिकारी, पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ से उपरोक्त रवानगी एवं वापसी की रोजनामचा रपट एवं मालखाना रजिस्टर की प्रतियां तथा मृतक शब्बीर की लाश की वीडियोग्राफी करने में उपयोग में लिये गये उपकरण या वीडियो सी.डी., आदि एवं घटनास्थल के तैयार किये गये फोटोग्राफ्स मय नेगेटिवस को तलब किया जाना भी हस्तगत मामले के निष्पक्ष एवं प्रभावी विचारण तथा सही निर्णय के लिये आवश्यक हो जाता है।

:: आदेश ::

79. अतः आदेश दिये जाते हैं कि पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण गिर्राज प्रसाद, रामसिंह, प्रहलाद, महावीर प्रसाद एवं हरेन्द्र सिंह को भा.दं.सं. की धारा 143, 147 एवं 302 सपठित धारा 149 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिये आरोप विरचित कर सुनाये एवं समझाये जावें।

80. पुलिस महानिदेशक (राजस्थान) जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि हस्तगत मामले में स्वतन्त्र, स्वच्छ एवं त्वरित विचारण (free, fair & speedy trial) सुनिश्चित किये जाने तथा पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण पर विचारण को प्रभावित करने के आरोप लगाये जाने की सम्भावना को दूर करने के लिए पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण गिर्राज प्रसाद, महावीर प्रसाद, ए.एस.आई, हरेन्द्र सिंह कांस्टेबल एवं रामसिंह कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जावे या विचारण के दौरान उनको पुलिस रेन्ज, कोटा से या कम से कम बून्दी जिले से तो अवश्य ही बाहर पदस्थापित रखा जावे तथा हस्तगत मामले के विचारण के दौरान पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण के आचरण (functioning) पर निकट रूप से निगरानी (close watch) बनाये रखें, ताकि पुलिसकर्मी/अभियुक्तगण पर विचारण को प्रभावित करने का कोई आरोप नहीं लगाया जा सके।

81. मृतक शब्बीर के परिजनों को पुनर्वास की दृष्टि से राजस्थान सरकार की ''पीड़ित प्रतिकर स्कीम'' के तहत समुचित अन्तरिम क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की अनुशंषा की जाती है। विद्वान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बून्दी से अपेक्षा की जाती है कि इस निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त होने के बाद अन्तरिम क्षतिपूर्ति स्वीकृत की जाने की कार्यवाही यथाशीघ्र अमल में लाई जावेगी।

82. थानाधिकारी, पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि हस्तगत मामले की मूल केस डायरी नष्ट/गायब कर दिये जाने के अपराध के लिए 07 दिवस के अन्दर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर त्वरित अनुसंधान करते हुये मूल केस डायरी को यथाशीघ्र बरामद कर इस न्यायालय के समक्ष पेश करें। जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को निर्देश दिये जाते हैं कि न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों कि अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

83. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र संख्या 07/पी.आई./2017 दिनांक 30.03.2017 के मद्देनजर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अनुसंधान की नियमित रूप से (अधिकतम 07 दिवस के अन्तराल पर) प्रभावी मोनिटरिंग कर स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं त्वरित अनुसंधान सुनिश्चित करावें।

84. थानाधिकारी, पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि पुलिसकर्मियों की घटना के दिन की घटनास्थल पर रवानगी एवं वापसी की रोजनामचा रपट एवं मालखाना रजिस्टर की प्रतियां तथा मृतक शब्बीर की लाश की वीडियोग्राफी करने में उपयोग में लिये गये उपकरण या वीडियो सी.डी., आदि एवं घटनास्थल के तैयार किये गये फोटोग्राफ्स मय नेगेटिवस को 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से न्यायालय में पेश करें।

85. इस आदेश की एक–एक सत्य प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, इन्द्रगढ़, जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी, पुलिस महानिदेशक (राजस्थान) जयपुर एवं विद्वान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बून्दी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जावे। पालना रिपोर्ट दिनांक 02.04.2024 तक आवश्यक रूप से न्यायालय में पेश की जावे।

(**दिनेश कुमार गुप्ता**)
सेशन न्यायाधीश,बून्दी
(राजस्थान)

86. आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सेशन न्यायाधीश,बून्दी
(राजस्थान)